विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर :

प्रश्न	उत्तर

प्रश्न

2(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कि दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 29 अगस्त, 2024 के मध्य वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों में खाद्य एवं रसद विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं से जनता को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुये है?

उत्तर

खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं तथा उससे प्राप्त रहे लाभ के सम्बन्ध में उपायुक्त (खाद्य), वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल व आजमगढ़ मण्डल से प्राप्त सूचनानुसार विवरण निम्नवत् है:-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाः-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत इस योजना हेतु एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों का चयन किया गया है, जो कि वर्ष 2011 की जनसंख्या का 79.56 प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्र में) एवं 64.43 (शहरी क्षेत्र में) आच्छादित किया गया है।

इस योजनान्तर्गत चयनित अन्त्योदय परिवारों/लाभार्थियों को 35 किग्रा० खाद्यान्न (गेहूं, चावल एवं श्री अन्न उपलब्धतानुसार) एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट खाद्यान्न (गेहूं, चावल एवं श्री अन्न उपलब्धतानुसार) निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।

क्र०	सम्भाग	गेहूँ	चावल	ज्वार	बाजरा	मक्का	चीनी
1	वाराणसी	1754039.91	2649135.4	0	18998.95	0	16452.09
2	मिर्जापुर	780183.80	1215270.87	259.03	125832.39	213.32	5620.17
3	आजमगढ़	1375543.85	2063784.22	0	3393.14	1688.31	14882.22

2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः-

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03/10/2023 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत अतिरिक्त 75 लाख एल0पी0जी0 गैस कनेक्शन निर्गत किए जाने के निर्णय के अनुक्रम में शासनादेश सं0-भा0स0-95/29-7-2023, दिनांक 13/10/2023 द्वारा जनपदों में जिला उज्जवला समिति का गठन किए जाने एवं अतिरिक्त उज्जवला लाभार्थियों को नवीन कनेक्शन निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए। तत्क्रम में वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों में इस योजना के अंतर्गत 01 जनवरी, 2024 से 29 अगस्त, 2024 के मध्य निर्गत नवीन कनेक्शन्स का विवरण निम्नवत है :-

क्र०	मण्डल का नाम	उज्ज्वला गैस कनेक्शन
1	वाराणसी	30127
2	मिर्जापुर	33288
3	आजमगढ़	11606

3- उक्त के अतिरिक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से धान/गेहूँ/बाजरा आदि का क्रय किया जाता है। दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 29 अगस्त, 2024 के मध्य प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों में की गई खरीद एवं लाभान्वित किसानों का विवरण निम्नवत है :-

3. धान खरीद योजनाः-

क्र०	सम्भाग	समर्थन मूल्य	कुल खरीद मी0टन में	लाभान्वित कृषक	किया गया गया भुगतान (करोड़ में)
1	वाराणसी	**धान कॉमन** रू0 2300 प्रति कुंतल। **धान ग्रेड-ए** रू० 2320 प्रति कुंतल	354724.25	52634	958.47
2	मिर्जापुर		123268.83	19282	342.85
3	आजमगढ़		89136.27	15801	239.54

4. बाजरा खरीद योजना:-

क्र०	सम्भाग	समर्थन मूल्य	कुल खरीद मी०टन में	लाभान्वित	किया गया गया भुगतान (करोड़ में)
1	वाराणसी	रू० 2625 प्रति कुंतल	91.50	26	77.45
2	मिर्जापुर		403.86	143	230.64
3	आजमगढ़		5.65	02	22.98

5. गेहूँ खरीद योजना:-

क्र०	सम्भाग	समर्थन मूल्य	कुल खरीद मी०टन में	लाभान्वित	किया गया भुगतान (करोड़ में)
1	वाराणसी	रू० 2275 प्रति कुंतल	26938.00	5877	54.64
2	मिर्जापुर		38624.24	7579	83.34
3	आजमगढ़		44170.39	9150	94.73

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे? — उपरोक्तानुसार।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों? — प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।